

साहेबगंज समाहरणालय
जिला भू-अर्जन शाखा, साहेबगंज
अधिघोषणा
(अधिनियम-30/2013 की धारा-19(1) के अधीन)

संख्या-डी0एल0ए0 साहेबगंज 25 / 15-16 / _____ / भू0अ0, दिनांक-

चूंकि झारखण्ड सरकार/समाहर्ता, साहेबगंज को यह प्रतीत होता है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ यथा परियोजना भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (बन्दरगाह निर्माण) में विस्थापित परिवारों को पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतू, मौजा-समदानाला, थाना-साहेबगंज (मु0), थाना सं0-01, अंचल-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज में कुल-16.47 एकड़ भूमि अपेक्षित है। इसलिए अधिघोषणा किया जाता है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू-खण्ड है, जो मानक माप से कमोवेश 16.47 एकड़ यानिX..... हेक्टेयर है, जिसका विवरणी निम्नलिखित है :-

क्रम सं0	खाता सं0	सर्वे भूखंड सं0	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन के अधीन क्षेत्रफल (एकड़ में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम व पता	सीमा (भूखंड सं0)			
							उ0	द0	पू0	प0
1	64	135	रैयती	बाड़ी-1	00.10	लक्ष्मण यादव दीगर, पिता-दुखानी यादव,	दाग नं0-139, 140, 144, 154, 164 एवं रास्ता दाग नं0-274	दाग नं0-128, 129, 130, 131, 133 / 34 एवं सीमाना हाथीगढ़ नं0-05	सीमाना रामपुर नं0-03	दाग नं0-164, 127 एवं 145
2	64	275	रैयती	बाड़ी-2	00.60	सत्यनारायण मारवाड़ी, पिता-मोहन लाल मारवाड़ी				
3	64	276	रैयती	बाड़ी-1	01.29	तथैव				
4	11	137	रैयती	बाड़ी-1	00.89	रघुनाथ साह, पिता-चमरू साह				
5	78	138	रैयती	बाड़ी-1	03.24	नारद यादव, पिता-भरोसा यादव				
6	77	277	रैयती	बाड़ी-1	00.12	रघुनाथ साह, पिता-चमरू साह				
7	43	278	रैयती	बाड़ी-1	00.09	महावीर साह व चमरू साह पेसरान-लाला साह				
8	64	279	रैयती	बाड़ी-1	00.70	सत्यनारायण लाल व किशोरी लाल पिता-मोहनलाल मारवाड़ी				
9	44	280	रैयती	बाड़ी-1	00.14	पुसाराय वल्द पल्टु राय				
10	11	281	रैयती	बाड़ी-1	00.14	चमरू साह, वो महावीर साह, पिता-लाला साह				
11	11	282	रैयती	बाड़ी-1	00.41	तथैव				
12	41	283	रैयती	बाड़ी-1	01.43	मधु पहाड़िया पिता-सुरजा पहाड़िया				
13	41	284	रैयती	बाड़ी-1	00.98	तथैव				
14	11	285	रैयती	बाड़ी-1	00.09	चमरू साह, वो महावीर साह, पिता-लाला साह				
15	43	286	रैयती	बाड़ी-1	00.66	तथैव				
16	11	287	रैयती	बाड़ी-1	01.22	तथैव				
17	11	288	रैयती	बाड़ी-1	00.39	तथैव				
18	43	289	रैयती	बाड़ी-1	02.15	तथैव				
19	64	290	रैयती	बाड़ी-2	00.35	सत्यनारायण लाल वो किशोरी लाल पिता-मोहनलाल मारवाड़ी				
20	43	291	रैयती	बाड़ी-1	01.48	चमरू साह वो महावीर साह, पिता-लाला साह				
कुल -					16.47					

यह अधिघोषणा हितबद्ध व्यक्तियों की आपत्तियों के सुनने और अधिनियम सं०-30/2013 की धारा-15 में प्रदत्त यथा उपबंधित सम्यक जाँच के पश्चात् किया गया है। भूमि अर्जन के कारण पुनर्व्यवस्थापन के लिए संभावित परिवारों की संख्या जिनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित किए गए हैं, जिसका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :-

ग्राम-चमार टोली, थाना-साहेबगंज मुफ्फसिल, थाना सं०-01, अंचल-साहेबगंज, जिला-साहेबगंज, क्षेत्रफल-16.47 एकड़ यानि 6.665 हे० जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज के कार्यालय में किसी कार्य दिवस के दिन भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार नीचे दिये गये हैं :-

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के संबंध में भू-अर्जन अधिनियम अन्तर्गत रैयतों को उचित प्रतिकर यथा परिवहन भत्ता, पुनर्व्यवस्थापन भत्ता, जीवनयापन भत्ता यथा योग्य रूप से किया जायेगा।

६० -
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक/भू०अ०, साहेबगंज, दिनांक


प्रतिलिपि :- प्रभारी पदाधिकारी, जिला गजट शाखा, साहेबगंज को अगले अंक में प्रकाशित करने हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि अधिसूचना के पीछे उपर्युक्त ज्ञापांक का प्रकाशन जिला गजट में अधिसूचना के साथ करना आवश्यक है।

प्रतिलिपि :- निदेशक, भू-अर्जन झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ प्रेषित।

६० -
उपायुक्त,
साहेबगंज।

ज्ञापांक215...../भू०अ०, साहेबगंज, दिनांक16.7.2016.....

प्रतिलिपि :- निदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखण्ड, रांची को सूचनार्थ एवं दो दैनिक समाचार पत्रों में नियमानुसार प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि प्रकाशन की सूचना सीधे जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, साहेबगंज को भेजने की कृपा की जाय।


उपायुक्त,
साहेबगंज।